



2026:AHC-LKO:41002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4327 वर्ष 2026

अशोक @ अशोक गुप्ता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से और 4 अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सचिन वर्मा, प्रवीण कुमार पांडे

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दिनांक 16.5.2026 का नोटिस दिया और सूचित किया कि जमानत आवेदन लंबित होने की सूचना शिकायतकर्ता को दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
2. तदनुसार, इस मामले का निपटारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की सहायता से किया जा रहा है।
3. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 69/2026 में, भा०न्या०सं की धारा 137(2), 87, 65(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की धारा 5ठ / 6 और अनुजाति/ अनुजनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत, पुलिस स्टेशन - शिवगढ़, जिला - रायबरेली में, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 14.3.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने परिवार को बिना बताए स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के बयान का खंडन किया और अस्थि परीक्षण में उसकी आयु 18 वर्ष पाई गई। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चिकित्सा-कानूनी जांच में पीड़िता की कौमार्य झिल्ली सामान्य और अक्षुण्ण पाई गई, लेकिन इस तथ्य पर विचार किए बिना जांच अधिकारी ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है और वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और चिकित्सा-कानूनी जांच में पीड़िता की वर्जिनिटी बरकरार पाई गई थी।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति के साथ-साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचार करते हुए, चूंकि पीड़ित ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है, इसलिए मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदक - **अशोक उर्फ अशोक गुप्ता** - को उपरोक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा०दं०सं०/269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय करने; और (3) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जून 12, 2026

गौरव

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।